अनुसूची १४–फारम सं०–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता०.....से.....तक

जिला....., सं०....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३
9/6/14	**न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा** **भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 431/2013** मो0 सोएब अहमद एवं अन्य —— अपीलार्थीगण वनाम शेख अब्दुल रज्जाक —— रेस्पोण्डेन्ट **–:: आदेश ::–** प्रस्तुत अपील वाद 431/2013 अपीलार्थी/विपक्षी जो निम्न न्यायालय में विपक्षी थे तथा उत्तरवादी/वादी निम्न न्यायालय में पक्षकार वादी थे। निम्न न्यायालय वाद संख्या 17/2012 शेख अब्दुल रज्जाक बनाम शेख सोएब एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.07.2013 के विरूद्ध अपीलार्थी/विपक्षी ने दाखिल किया है। नामांकन विन्दु पर सुना। अपीलार्थी विपक्षी के अपीलवाद पत्र के ग्राउण्ड के कण्डिका 3 में अपीलार्थी/विपक्षी स्वीकार करते है कि खेसरा पूराना 413 एवं 415 में 12 धुर 8 धुरकी खतियानी आधार पर होना बतलाते हैं जिसमें से 8 धुर भूमि 1965 के केवाला से प्राप्त अपीलार्थी/ विपक्षी के पिता को था जिस आधार पर 4 धुर एवं 8 धुरकी अर्थात 01 डी0 की जगह गलत 05 डी0 के आदेश होने का कथन किया है। अपीलार्थी/विपक्षी ने ग्राउण्ड के पारा 7 में बी0 टी0 एक्ट अन्दर धारा 106 वाद संख्या 23174/86 म पारित आदेश के विरूद्ध रिविजन वाद संख्या 162/2008 उतरवादी/वादी के विरूद्ध होना बतलाये हैं तथा अपीलार्थी खाता नया 158 खेसरा नया 564 रकबा 23 डी0 सम्पूर्ण पुराना खाता 21 खेसरा पुराना 413 एवं 415 पर अपना दावा करते हैं। निम्न न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट होता है कि खाता पुराना 21 खेसरा पुराना 413 रकबा 2 कट्ठा 06 धुर एवं 415 रकबा 3 कट्ठा 18 धुर 6 कट्ठा 04 धुर अर्थात 27 डी0 में से खाता नया 158 खेसरा 564 रकबा 23 डी0 अपीलार्थी/वादी के नाम रिविजनल सर्वे में खाता दर्ज हो गया जबकि शेष रकबा 4 डी0 बचता है जिसमें से 06 डी0 का बी0 टी0 एक्ट में आदेश के विरूद्ध रिविजन अपीलार्थी/विपक्षी ने दाखिल किया है तथा निम्न न्यायालय ने 05 डी0 में आदेश पारित किया है जिसपर घर मकान होने का आदेश पारित है। अपीलवाद पत्र एवं निम्न न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष एक ही वारिसानों से आते हैं जिसमें पुराना खतियानी रकबा 27 डी0 में से 23 डी0 का खाता अपीलार्थी/विपक्षी के नाम बना था जिसके विरूद्ध बी0 टी0 एक्ट में आदेश है तथा आदेश के विरूद्ध रिविजन लम्बित है तथा विवादी भूमि पर घर–मकान का होना आदेशित है। अतएव वाद को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा कों दोनों पक्षों को फिर से एक माह के अन्दर सुनवाई कर समुचित आदेश पारित करने हेतु Remand (पुनःप्रेषित) किया जाता है। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। 9/6/14 आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा 9/6/14 आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा	